महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांकः महा.सु.वि.वि. / सम्ब० / 2024 / 1567
दिनांकः 08 / 08 / 2024

प्रेषक,
कुलसचिव,
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

सेवा में,
प्रबन्धक,
कुमार परमार्थ बाबा गोविन्द विधि महाविद्यालय,
कल्यानपुर मऊ।

विषय–महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषय / पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014, दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **कुमार परमार्थ बाबा गोविन्द विधि महाविद्यालय, कल्यानपुर मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम** में दिनांक 01.07.2024 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अस्थायी सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक–30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16(33) / 2015 दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या–2499 / सत्तर–4–2022 दिनांक–02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तो एव मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय
कुलसचिव 08.08.24

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय [illegible] इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, [illegible]।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर [illegible]।

कुलसचिव